फर्द अहकाम

दालत – सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड अधिकारी~~ मुकाम भीनमाल

वादी/~~प्रार्थी~~	बनाम	प्रतिवादी/~~अप्रार्थी~~
वरलाल S/O लाखा जा० माली नि० भीनमाल		राज० सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल

प्रकरण संख्या 31 /20 11

ीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-3-11	वादी की ओर से वकील श्री बस्तीमल खत्री व श्री ललित खत्री द्वारा दावा बाबत घोषित करने खातेदारी हक विरुद्ध प्रतिवादी पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिए सम्मन तलब होकर मिशल आयन्दा ता० 28-4-11 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल	सम्मन जारी 23-3-11
-4-11	वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी पैरोकार नायब तहसीलदार भीनमाल हाजिर। जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। मिशल वास्ते जवाब ता० 26-5-11 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल	
6-5-11	वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी पैरोकार नायब तहसीलदार भीनमाल हाजिर। जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। मिशल वास्ते जवाब ता० 9-6-11 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल	

Scanned by CamScanner

7.11.17	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर / वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है न्यायहित मे इल्तदुआ पर एक अन्तिम अवसर दिया जाता है । मिसिल तारीख 28.11.17 को पेश हो ।
28.11.17	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर / आज श्रीमान A.C.J.M. अवकाश (?) मे विराजते है मिसिल तारीख 19/12/17 को पेश हो ।
19/12/17	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर / वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है उज्रदुआ पर एक आन्तिम अवसर दिया जाता है मिसिल तारीख 3.1.18 को पेश हो ।
3.1.18	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर / वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है न्यायहित मे इल्तदुआ पर एक अवसर दिया जाता है हिदायत दी जाती है कि आयन्दा वादी साक्ष्य आवश्यक रूप से हाजिर लावे । मिसल वादी साक्ष्य तारीख 22.1.18 को पेश हो ।
22.1.18	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर । आज श्रीमान A.C.J.M. दौरे मे पधारे हुए है मिसल उनके समक्ष तारीख 5/2/18 को पेश हो ।
5/2/18	वकुलाय फर्यीकेन हाजिर । वादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते है पूर्व पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी आज इल्तदुआ पर एक अन्तिम अवसर दिया जाता है मिसल तारीख 27-2-18 को पेश हो ।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या–31/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 भवंरलाल पुत्र लाखाजी माली निवासी भीनमाल		1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

दावा बाबत घोषित करने खातेदारी हक

निर्णय दिनांक 25.9.19

वादी ने उक्त वाद बाबत खातेदारी हक घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के हक पुर्वज जवारा वल्द चेला की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 1123 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा सरहद मौजा भीनमाल में आया हुआ है। उक्त खेत वादी ने जरिये जुबानी करार के सवंत 2039 के खरीद किया था। तब से बहेसियत मालिक के वादी उक्त खेत पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। नवीन भूप्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर 1846 दर्ज किये जाकर रकबा 0.92 हैक्टर दर्ज किया गया जबकि आराजी का मौके पर वास्तविक क्षैत्रफल 1.37 हैक्टर किस्म चाही सोयम है भू प्रबन्ध की गलती से उक्त आराजी खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.92 हैक्टर दर्ज किया गया । वादी ने बैचाननामा तकमील करवाया तब राजस्व रेकार्ड में खातेदारी कम दर्ज थी इस पर वादी ने उक्त खेत के बैचान बाबत मुद्रांक शुल्क अदा किया दस्तावेज पुरी भूमि का पंजीयन करवाया पटवारी हल्का ने वक्त नामान्तरकरण वादी को बताया था कि उसकी खातेदारी का रकबा दुरस्त कर दिया जायेगा लेकिन नकल प्राप्त की तब पता चला कि रकबा दुरस्त नही किया। इस प्रकार वादी उक्त आराजी का रकबा 1.37 हैक्टर घोषित करवाकर खातेदरी दुरस्त करवाने का अधिकारी है मौके पर वादी का 1.34 हैक्टर कब्जा काश्त है।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्ति व्यक्त करते हुए वाद म्याद बाहर , वादग्रस्त भूमि रिसेटलमेन्ट द्वारा सही ढंग से भूमि का भूमाप किया जाना उल्लेख करते हुए वादमय खर्चा खारीज का निवेदन किया गया।

मामलें में निम्न तनकीयात कायम की गई–

1 आया खेत खसरा नम्बर 1123 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.927 हैक्टर दर्ज किये गये है, का मौके पर कब्जा काश्त 1.37 हैक्टर है जिसे वादी खसरा नम्बर 1846 रकबा 1.37 हैक्टर सरहद मौजा भीनमाल दर्ज करवाने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी–

2 आया वादी का वाद अन्दर म्याद नही होने से काबिल खारीज है।

जिम्मेप्रतिवादी–

3 अनुतोष–

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद के साथ दस्तावेजी प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श 1 नक्शाकिश्तवार प्रर्दश 2, जमाबन्दी संवत 2064—67 प्रदर्श 3 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 व जिला कलेक्टर महोदय को दिये गये नोटिस प्रदर्श 6 व डाकघर रसीद प्रदर्श 7 व पावती स्वीकृति प्रदर्श 8, उप पजींयक भीनमाल की रसीद प्रदर्श 5व दस्तावेज बैचान खातेदारी हक दिनांक 18.4.2002 प्रदर्श पीडब्लयु 5 ए प्रस्तुत किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में भंवरलाल वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लयु 1 प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये। तथा गवाह दिनेश पुत्र डुंगरमल साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलम बद्व करवाये व गवाह देवीलाल का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु बयान नहीं करवाये गये है। प्रतिवादी की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व मामलें में विरचित की गई तनकीयों का निर्णय तनकीवार पारित किया जाता है—

1 यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई। वादी ने इस तनकी के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श 1 नक्शा किश्तवार प्रर्दश 2, जमाबन्दी संवत 2064—67 प्रदर्श 3 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 उप पजींयक भीनमाल की रसीद प्रदर्श 5व दस्तावेज बैचान खातेदारी हक दिनांक 18.4.2002 प्रदर्श पीडब्लयु 5 ए प्रस्तुत किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में भंवरलाल वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लयु 1 प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2064—67 में आराजी खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.92 हैक्टर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। तथा पुर्व खातेदार जवारा वल्द देवाजी द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज 18.4.2002 के उक्त खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.92 हैक्टर का बैचान वादी भवरलांल को किया गया है। जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 में आराजी खसरा नम्बर 1123 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा दर्ज थी ततपश्चात मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन भू प्रबन्ध के दौरान आराजी खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.92 हैक्टर सृजित हुए चुकिः उक्त खसरा नम्बर का रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा से नवीन भू प्रबन्ध के दौरान 0.92 हैक्टर रकबा सृजित होने के सम्बंध में भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त खातेदारी के हक पुर्वज द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने के सम्बधं में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है। भू प्रबन्ध कार्यवाही वर्ष1989—90 में सम्पन्न हुई है तथा कार्यवाही पुर्ण होने के पश्चात दावे आपत्तियां विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने पर इस कम रकबे के सम्बंध में कोई आपत्ति इत्यादि नवीन भुप्रबन्ध के तहत किये जाने के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज वादी की और से प्रस्तुत नंही हुआ है।नवीन भुप्रबन्ध कार्यवाही के तहत मौके एंव रेकार्ड की स्थिति अनुसार ही नवीन रेकार्ड सृजित किया जाता है। वादी द्वारा पुर्वाधिकारी से जरिये पंजीकरण दस्तावेज दिनांक 18.4.02 को आराजी खसरा नम्बर 1846 [illegible] किया किया है। एंव इसी अनुरूप वादी के

Scanned by CamScanner

नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। वादी ने अपने दस्तावेजी प्रमाण में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि अवशेष रकबा किस खसरा नम्बर में सम्मिलित किया गया है अथवा कोई नया नम्बर सृजित कर उसका रकबा बनाया है। ऐसी स्थिति में वादी की खातेदारी 0.92 हैक्टर का रकबा 1.37 हैक्टर किस आधार पर किया जाये, यह स्पष्ट साबित नहीं है। साथ ही भू –प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात इतनी लम्बी अवधि के बाद इस दावे के जरिये 1.37 हैक्टर की खातेदारी चाही गई है। जो बिना किसी साबित दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में दिया जाना कतई सम्भव नही है। इसके अलावा वादी अथवा पुर्व हक अधिकारी ने वादग्रस्त आराजी की पैमाइश इत्यादि करवाने के सम्बधं में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप वादी दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में रकबा 0.92 हैक्टर के बजाय 1.37 है की खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतएवं यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2 यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। चुकिः नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही वर्ष 1989 –90 यानि संवत 2035–38 के पश्चात की हुई है। वादी अथवा पुर्वाधिकारी द्वारा भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान तथा उसके पश्चात कोई कार्यवाही नही की जाकर इतने वर्षो के बाद वर्ष 2011 में उक्त वाद प्रस्तुत कर खातेदारी चाही गई है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि का सही ढंग से माप किया गया है। इस बिन्दु के विपरित वादी द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अत एवं यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयो के विवेचन अनुसार वादी का वाद घोषित करने खातेदारी हक स्वीकार योग्य नही पाया जाता है ।

अतः वादी का वाद बाबत घोषित करने खातेदारी हक अस्वीकार किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.9.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner